

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-14.01.2024

सेवा में,

HEMANT DROLIA,

BALIKA VIDYA MANDIR, JHARIA, BATA MORE, JHARIA- 828111

विषय:-

Balika Vidya Mandir झरिया, धनबाद स्कूल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण।

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में निर्मित स्कूल भवन में कराये गये अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, झरिया, धनबाद से कराई गई। उनके ज्ञापांक-13 दिनांक-08.01.2024 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखेंगे।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. भवन में निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. भवन में किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लेंगे।
5. अपातकाल की अवस्था में Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का जो Display किया गया है, उसे संधारित रखा जाय।
6. भवन में काम करने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
7. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
8. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
9. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
10. समय-समय पर सभी हाईड्रैण्ट को फ्लश आउट किये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
12. भवन में किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए संबंधित प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. भवन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का डिस्ले किया जाय, उसे निर्धारित रखा जाय।
15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक-15.11.2024 तक के लिये मान्य है।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND
DISASTER MANAGEMENT,
2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5
ffd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand,
serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec02
5de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2024.01.15 15:06:46 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।